	(ख) स्थाई निवास स्थान पर भी एक निःशुल्क टेलीफोन की सुविधा (05.08.1964 से लागू)	(ख) --
	(2) --	(2) एक दिल्ली में स्थाई निवास स्थान पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से साल में 50 हजार मुफ्त कॉल की सुविधा के साथ।
	(3) --	(3) एक पूरे देश में रोमिंग सुविधा के साथ एक मोबाइल फोन बिना किसी पंजीकरण शुल्क या किराए के (1 से 3 के कुल) 1,50,000 रुपये के कॉल करते हुए
	(4) --	(4) जिन सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र 1000 किलोमीटर या अधिक दूर है, उन्हें प्रत्येक टेलीफोन पर 10,000 अतिरिक्त
	(5) --	(5) यदि इन कॉल्स का उपयोग न हुआ तो इनकी सुविधा अपने निजी फोन पर भी प्राप्त की जा सकती है।
(ई) पानी और बिजली	(ई) पानी व बिजली की निःशुल्क सुविधा के लिए 300 रुपये प्रतिमाह का भत्ता वर्ष 1986 से शुरू किया गया।	(ई) पानी 4 हजार किलो लीटर प्रतिवर्ष बिजली व पावर मीटर पर 50 हजार यूनिट प्रतिवर्ष
(एफ) आवास	(एफ) पूरे कार्यकाल के दौरान मकान किराए में 25 प्रतिशत की कटौती, जिसमें फर्नीचर या अन्य शुल्क भी शामिल हैं।	(एफ) पूरे कार्यकाल के दौरान फ्लैट के रूप में मुफ्त आवास अथवा पात्रता होने पर नाम-मात्र के शुल्क पर बंगला। इसके अलावा फर्नीचर व अन्य शुल्कों में 25 प्रतिशत की कटौती।
(जी) चिकित्सा	(जी) नाममात्र के मासिक योगदान पर सीजीएचएस के सीसीएस प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधाएं।	(जी) --

5. पूर्व सदस्यों की मिलने वाली सविधाएं

(ए) पेंशन	(ए) 09.09.1976 से शुरू आरंभ में एक पूर्व सदस्य को प्रतिमाह 500 रुपये की पेंशन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर तथा प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 50 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि	(ए) न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और 5 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 600 रुपये प्रतिमाह भी अतिरिक्त पेंशन
(बी) परिवार पेंशन	(बी) कार्यकाल के दौरान सांसद के देहांत पर उसके जीवनसाथी अथवा आश्रितों को प्रतिमाह 1000 रुपये की पेंशन, 20.08.1998 से लागू, 5 वर्ष के लिये की पेंशन प्रतिमाह के	(बी) कार्यकाल के दौरान देहांत होने पर सांसद के जीवनसाथी अथवा आश्रितों को 1500 रुपये प्रतिमाह लिए।
(सी) रेल	(सी) 18.01.1999 से पूर्व सांसद को एक सहयोगी के मद द्वितीय श्रेणी वातानुकूल में यात्रा की अनुमति करने पर प्रथम श्रेणी	(सी) सहयोगी के साथ होने पर द्वितीय श्रेणी वातानुकूल, अकेले यात्रा वातानुकूल/एक्जिक्यूटिव श्रेणी
(डी) चिकित्सा	(डी) अगर पूर्व सांसद किसी ऐसे शहर में रहते हों जहां सीजीएचएस की सुविधा है तो मामूली अंशदान के साथ चिकित्सा सुविधा	(डी)

*** सत्र/समितियों की बैठकों या किसी अन्य कामकाज में हिस्सा लेने के लिए।**
**** किसी भी विमानन सेवा से।**

स्रोत : संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन अधिनियम 1954 और उसके तहत बने नियमों में अद्यतन संशोधन।

राज्य सरकारें भी चूंकि केन्द्र का ही प्रतिबिंब हैं अत: यदि राज्यों द्वारा वर्तमान व भूतपूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली राशि जोड़ें तो भारतीय लोकतंत्र की कीमत का आंकड़ा बहुत ही विराट होगा, सुरसा के मुंह से भी बड़ा, क्योंकि इस समय विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 5,269 है। इस तरह की फिजूलखर्ची लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है, जो आम आदमी के लिए शांति, सुख समृद्धि और न्याय सुनिश्चित करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजशाही उस समय अलोकप्रियता तथा घृणा का केन्द्र बन गई थी, जब राजा द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग प्रजा के लिए असहनीय हो गया था। शासकों ने राजस्व आय का बड़ा भाग अपने ऐशो-आराम और भोग विलास के लिए खर्च करना शुरू कर दिया था जबकि लोगों की परेशानियां वहीं-की-वहीं थी।